राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–66 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री उमेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खूँटी, झारखण्ड–835210

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
08.08.2023	श्री उमेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खूँटी, झारखण्ड–835210 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–01.08.2023 इस कार्यालय में दिनांक–07.08.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 927114 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री उमेश कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–29.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–29.06.2023 की प्रति संलग्न नहीं है वरण माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को भेजे गए पत्र दिनांक–02.08.2023 की प्रति संलग्न की गयी है। अतः अपीलार्थी श्री उमेश कुमार से प्रपत्र 'क' दिनांक–29.06.2023 के छाया–प्रति की मांग करें तथा लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को निदेश दिया जाता है कि वे प्रपत्र 'क' दिनांक–29.06.2023 पर की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अगली तिथि को उपस्थापित करें। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–30.08.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 8/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक 1279/रा० सू० (III)

दिनांक- 11-08-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री उमेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खूँटी, झारखण्ड-835210 को सूचना एव आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

अपील वाद संख्या–66 (लो०सू०अ०)/2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
30.08.2023	दिनांक-08.08.2023 को पारित आदेश के आलोक के क्रम में अपीलार्थी श्री उमेश कुमार द्वारा प्रपत्र 'क' की छाया-प्रति संलग्न कर भेजी गयी है। साथ ही लोक सूचना पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें उन्होंने अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पर की गयी कार्रवाई के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने की बात कही है। विदित हो कि अपीलार्थी श्री उमेश कुमार द्वारा निम्नांकित सूचना की मांग की गयी थी- *"...निजी पंजीकृत पत्र दिनांक-02.06.2023 जो राजभवन को समुचित कार्रवाई हेतु समर्पित की गयी थी, पर कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।"* उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-आर.टी.आई.(स्था.)-91/2023-98/रा.स.(III) दिनांक-25.07.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को निम्नांकित सूचना भेजी गयी है- *"...आपके उल्लेखित आवेदन दिनांक-02.06.2023 जो कार्रवाई किये जाने से संबंधित है। इस आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, बिहार, पटना को पत्रांक-71 दिनांक-26.06.2023 को भेजा जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न)। अतः इससे संबंधित सूचना के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते है।"* उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जब लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दिये गए आवदेन पर किये गये कार्रवाई की सूचना भेजी जा चुकी है तब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस प्रथम अपीलवाद में किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। ह० 30/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक- 1357/रा० स० (iii) दिनांक- 31.08.2023

प्रतिलिपिः-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री उमेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खूँटी, झारखण्ड-835210 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह० 30/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी